ए.

इन आरईःपेरी कंसागरा

(सुओ-मोटू अवमानना याचिका (सिविल) 2021 की संख्या 3) नवंबर 03,2022

[उदय उमेश ललित**,** मुख्य न्यायाधीश और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे।**]**

बी.

सजा/सजा-अवमानना के लिए सजा-समकालीन (पीके) ने 'एस' (भारतीय नागरिक) से शादी की-शुरू में वे केन्या में रहे थे लेकिन भारत लौटने पर उनके बेटे का जन्म हुआ था-बेटा और 'एस' भारत में रहे-अवमाननाकर्ता द्वारा अपने बेटे की घोषणा और कानूनी संरक्षकता के लिए जिला अदालत में एक संरक्षकता याचिका दायर की गई थी-याचिका को अदालत के आदेश से अनुमति दी गई थी-'एस' ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय के आदेश की पुष्टि की-'एस' ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी-सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की और बेटे की हिरासत अवमानना करने वाले को दी गई-'एस' ने एम. ए. की शिकायत दर्ज की।मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अवमानकर्ता ने जानबूझकर और स्पष्ट इरादे से अवमानना का कार्य किया था-अदालत के फैसले, निर्देश और आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के साथ-साथ अदालत द्वारा दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना नागरिक अवमानना का गठन करता है-इसके अलावा, अवमानकर्ता का कार्य अदालत के अधिकार को कम करता है-अवमानकर्ता ने न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप किया है और न्याय के प्रशासन में बाधा डाली है जो आपराधिक अवमानना का गठन करता है-समकालीन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित करने का निर्देश दिया गया है और 5 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है। 12,50,000-(बारह लाख पचास हजार), चूक में वह आगे एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरेगा;ख) न्याय के प्रशासन में बाधा डालने और उच्चतम न्यायालय के अधिकार को कम करने के लिए न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना देना। 12,50,000-(बारह लाख ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

671

672 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

पचास हजार), चूक में वह आगे एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरेगा-सजा लगातार दी जाएगी-भारत का संविधान-Art.129।

पल्लव सेठ बनाम संरक्षक और अन्य **(2001) 7** एस**.** सी**.** सी**.**

549 :[2001] 1 पूरक।एससीआर 387; पुनः:विजय कुर्ले और ओआरएस। (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 407; ज़हिरा हबीबुल्लाह

बी.

शेख और अन्र**.** वी**.**गुजरात राज्य और अन्य**, (2006) 3**

एससीसी 374:[2006] 2 एससीआर 1081; और अफजल और अन्र. वी.हरियाणा राज्य और अन्य, (1996) 7 एस. सी. सी. 397:1996

(1) जे**.** टी**. 328;** सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ और

ओआरएस।(2014) 8 एससीसी 470:[2014] 12 एससीआर 573; सुप्रीम

सी.

कोर्ट बार एसोसिएशन न्यायालय भारत संघ और ए**.** एन**.** आर**.(1998)**

4 एससीसी **409:[1998] 2** एस**.** सी**.** आर**. 795-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2001] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 387** पैरा **12 [2006] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1081** पैरा **14 [2014] 12** एस**.** सी**.** आर**. 573** पैरा **17 [1998] 2** एस**.** सी**.** आर**. 795** पैरा **17** को संदर्भित

डी.

ई.

अंतर्निहित न्यायनिर्णयः2021 की सुओ मोटो अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 3।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 2020 के सी. ए. <आई. डी. 3 में 2020 के एम. ए. No.2140 में न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2021 और 08.12.2020 की जानबूझकर अवज्ञा के लिए दायर याचिका।

एफ.

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अधिवक्तागण जी., सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रोसेनजीत बनर्जी, सुश्री निधि मोहन पाराशर, सुश्री मानसी शर्मा, सुश्री श्रेया सिंघल, विक्रांत कुमार, निखिल चंद्र जैसवाल, सुश्री प्रतीक्षा मिश्रा, सिमरजीत सिंह सलूजा, सुदेशना सिंह, चैतन्य राज वडेरा, सुश्री आकृति आनंद, सुश्री आस्था बदेरिया, सुश्री दिविक माथुर, पी. के. मनोहर, सुश्री शगुन ठाकुर, सुश्री शिविका मेहरा, सुश्री बी. एल. शिवानी, अमन शर्मा, सुश्री निधि मोहन पराशर, रजत नायर, कानू अग्रवाल।उपस्थित दलों के लिए।

जी.

एच.

673

इन आरईःपेरी कंसागरा ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. सजा पर यह निर्णय हमारे दिनांकित 11.07.2022 के फैसले की निरंतरता में होगा जिसके द्वारा पेरी कंसाग्रा (इसके बाद 'अवमानक' के रूप में संदर्भित) को इस न्यायालय की दीवानी के साथ-साथ आपराधिक अवमानना के कृत्यों के लिए दोषी ठहराया गया था।सजा के परिणामी आदेश को पारित करने के लिए, हमने मामले को कई बार स्थगित कर दिया और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अवमानना करने वाले को पर्याप्त अवसर दिया गया था, हम स्मृति कंसागरा (अवमानना करने वाले की पत्नी और उनके बेटे आदित्य की मां) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री सोनिया माथुर को सुनने के लिए आगे बढ़े और मामले को आदेशों के लिए सुरक्षित कर लिया।इस निर्णय के माध्यम से, हम सजा के उचित आदेशों पर विचार करेंगे और पारित करेंगे।2. इस आदेश के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों को संक्षेप में नीचे बताया जा सकता है।अवमानकर्ता ने नई दिल्ली में 29.07.2007 पर एक भारतीय नागरिक स्मृति से शादी की।शुरू में, यह जोड़ा केन्या के नैरोबी में रहा, लेकिन स्मृति 2009 में भारत लौट आईं, और इस जोड़े को नई दिल्ली में 02.12.2009 पर एक बेटे-आदित्य का आशीर्वाद मिला।एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, जब यह जोड़ा 2012 में केन्या गया था, तो आदित्य हमेशा स्मृति के साथ दिल्ली में रहता था।हम यहाँ यह उल्लेख कर सकते हैं कि यह स्थिति तब तक जारी रही जब तक कि इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार आदित्य

को केन्या स्थानांतरित करने के लिए अवमानक को उसकी हिरासत सौंप नहीं दी गई।बाद की घटनाएं जिनके कारण इस न्यायालय के आदेशों को वापस लिया गया और अवमानना के लिए दोषसिद्धि का निर्णय सभी न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा हैं, जो निम्नानुसार सामने आई हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

3. अवमानकर्ता द्वारा कानूनी संरक्षकता की घोषणा के लिए जिला न्यायालय, साकेत के समक्ष 2012 की संरक्षकता याचिका संख्या 53 दायर की गई थी।प्रतियोगिता के बाद, याचिका को 12.01.2018 दिनांकित आदेश द्वारा अनुमति दी गई।स्मृति ने उक्त आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।अपने दिनांकित 25.02.2020 के फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय ने आदित्य को उसके पिता, अवमानक को हिरासत में देने के जिला न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।उसी तारीख को पारित एक अलग आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने स्मृति को निरंतर पहुंच और मुलाकात के अधिकार देने वाले परिवार न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अवमानक और उसकी मां की इच्छा को दर्ज किया।उच्च न्यायालय का निर्देश कि अवमानकर्ता भी एक याचिका दायर करेगा

एफ.

जी.

1 11.07.2002 के फैसले के बाद मामला 22.07.2022,27.09.2022,30.09.2022,17.10.2022 और 21.10.2022 पर सूचीबद्ध किया गया था।

एच.

भारतीय दूतावास के समक्ष इस वचन का अनुपालन किया गया कि वह भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होगा, और यह न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा है।

4. स्मृति ने 2020 की सिविल अपील संख्या 3559 में इस अदालत के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी।इस न्यायालय के बहुमत निर्णय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि

करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 28.10.2020 पर दीवानी अपील का निपटारा किया:-

बी.

“(क) स्मृति के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, हमने पेरी को नैरोबी में संबंधित न्यायालय से एक दर्पण आदेश प्राप्त करने का निर्देश देना आवश्यक समझा है, जो इस निर्णय में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित करेगा।

सी.

(ख) अंतर-देशी विवाहों में अंतरराष्ट्रीय माता-पिता के अपहरण से उत्पन्न होने वाले मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, अंग्रेजी अदालतों ने सुरक्षात्मक उपाय जारी किए हैं जो उपक्रमों, दर्पण आदेशों और सुरक्षित बंदरगाह आदेशों के रूप में होते हैं, क्योंकि सुरक्षात्मक उपायों को प्राप्त करने के लिए कोई स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय तंत्र नहीं है।इस तरह के आदेश उस बच्चे के हितों की रक्षा के लिए पारित किए जाते हैं जो एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पारगमन में है।अदालतों ने दर्पण आदेशों को सुरक्षात्मक उपायों को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका पाया है।

डी.

(ग) प्राथमिक अधिकारिता का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा किया जाता है जहाँ बच्चा सामान्य रूप से काफी समय से रह रहा है, और अभिरक्षा के मुद्दे पर एक विस्तृत जांच की है।न्यायालय पक्षकारों को उस न्यायालय से "दर्पण आदेश" प्राप्त करने का निर्देश दे सकती है जहाँ बच्चे की अभिरक्षा स्थानांतरित की जा रही है।ऐसा आदेश चरित्र में सहायक या सहायक है, और न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करता है जिसने बच्चे की अभिरक्षा पर प्राथमिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।अंतर्राष्ट्रीय परिवार कानून में, यह आवश्यक है कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एक समय में केवल एक न्यायालय द्वारा किया जाए।यह ऐसी स्थिति से बचेगा जहां नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में अदालतों द्वारा परस्पर विरोधी आदेश पारित किए जा सकते हैं।ये आदेश न्यायालयों की सामूहिकता और सार्वजनिक नीति के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पारित किए जाते हैं।दर्पण आदेश का उद्देश्य एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में पारगमन में नाबालिग बच्चे के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि माता-पिता दोनों प्रत्येक राज्य में समान रूप से बंधे हों।

ई.

एफ.

जी.

एच.

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

दर्पण आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए पारित किया जाता है कि जिस देश में बच्चे को स्थानांतरित किया जा रहा है, उसकी अदालतें उस देश में की गई व्यवस्थाओं से अवगत हों, जहां वह सामान्य रूप से रह रहा था।इस तरह का आदेश उस माता-पिता के हित की भी रक्षा करेगा जो अभिरक्षा खो रहा है, ताकि मिलने और अस्थायी अभिरक्षा के अधिकार बाधित न हों।"

बी.

न्यायालय ने आगे निम्नलिखित निर्देश दिएः-

"(क) हम पेरी कंसाग्रा को इस फैसले की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर, इस फैसले में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित करने के लिए नैरोबी में संबंधित न्यायालय से दर्पण आदेश प्राप्त करने का निर्देश देते हैं।नैरोबी में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के समक्ष दायर की जानी चाहिए;

सी.

(ख) इस न्यायालय के समक्ष दर्पण आदेश दायर किए जाने के बाद, पेरी इस न्यायालय की रजिस्ट्री में 1 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगी, जिसे इस निर्णय में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो साल की अवधि के लिए ब्याज वाले सावधि जमा खाते (स्वतः नवीनीकरण के आधार पर) में रखा जाएगा।

डी.

यदि यह न्यायालय संतुष्ट है कि पेरी ने इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किया है, तो उपरोक्त राशि प्रत्यर्थी को अर्जित ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी।

ई.

(ग) पेरी आवेदन करेगी और आदित्य के लिए एक नया केन्याई पासपोर्ट प्राप्त करेगी, स्मृति पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी, और इस संबंध में कोई बाधा पैदा नहीं करेगी;

(घ) इस न्यायालय के समक्ष दर्पण आदेश दायर किए जाने के एक सप्ताह के भीतर, स्मृति दिल्ली पब्लिक स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी, ताकि पेरी केन्या के एक स्कूल में आदित्य का प्रवेश सुरक्षित कर सकें।

एफ.

(ई) स्मृति सप्ताहांत में एक घंटे के लिए एक उपयुक्त वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मंच पर आदित्य के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र होगी; इसके अलावा, आदित्य को अपनी माँ से बात करने की स्वतंत्रता है जब भी वह ऐसा करना चाहता है;

जी.

(च) स्मृति को वर्ष में एक बार नई दिल्ली या केन्या में आदित्य की वार्षिक छुट्टियों के दौरान 50 प्रतिशत के लिए पहुँच और मिलने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, पेरी को उचित सूचना देने के बाद;

एच.

(छ) पेरी स्मृति और उनकी माँ से उनकी छुट्टियों के दौरान केन्या में आदित्य से मिलने के लिए एक सप्ताह की अवधि के लिए एक वर्ष में एक यात्रा का खर्च वहन करेंगे।लागत में केन्या में रहने के लिए हवाई किराया और खर्च शामिल होंगे।

(ज) स्मृति पेरी की सहमति के बिना आदित्य को नैरोबी, केन्या से बाहर ले जाने की हकदार नहीं होंगी।

बी.

(i) हम पेरी और स्मृति को इस न्यायालय के समक्ष उपक्रम दायर करने का निर्देश देते हैं, जिसमें कहा गया है कि वे इस फैसले की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन करेंगे।

21. एक अंतरिम उपाय के रूप में, हम निर्देश देते हैं कि जब तक पेरी को बच्चे की पूरी अभिरक्षा नहीं दी जाती है, तब तक वह भारत की यात्रा के दौरान सप्ताहांत के दौरान रात भर पहुंच के साथ बिना निगरानी के मिलने का हकदार होगा, ताकि आदित्य की पढ़ाई में बाधा न आए।पेरी और उनके माता-पिता को इस यात्रा की अवधि के दौरान इस न्यायालय के पंजीयक के समक्ष अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे।यात्रा समाप्त होने के बाद, उन्हें पासपोर्ट तुरंत वापस कर दिए जाएंगे।

सी.

डी.

22. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस अपील को चार सप्ताह की अवधि के बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, और यह संतुष्ट होने पर कि सभी पूर्व-वर्णित निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है, आदित्य विक्रम कंसागरा की अभिरक्षा उनकी मां स्मृति कंसागरा द्वारा पिता पेरी कंसागरा को सौंप दी जाएगी।"

ई.

5. कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अवमानकर्ता के पक्ष में आदित्य की हिरासत का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित निर्देशों के साथ 08.12.2020 पर एक और आदेश पारित किया गया थाः-

एफ.

"ए) इस आदेश के पैराग्राफ 20 में पहले जारी किए गए निर्देश और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किए गए मामलों को छोड़कर, अपीलार्थी द्वारा मांगे गए किसी भी निर्देश के संबंध में कोई आदेश नहीं मांगा जाता है।

ख) निर्णय के पैराग्राफ 20 में जारी किए गए सभी निर्देश इस आदेश के पैराग्राफ 20 में जारी किए गए निर्देश के साथ अच्छे हैं।

जी.

ग) प्रत्यर्थी द्वारा इस आदेश के तीन दिनों के भीतर एक और हलफनामा दायर किया जाएगा, कि वह इस आदेश और इस आदेश के पैराग्राफ 20 में जारी अतिरिक्त निर्देश का पालन करेगा।

एच.

677

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

घ) आदित्य को केन्या ले जाने से पहले, प्रत्यर्थी को उपरोक्त अतिरिक्त निर्देश के संबंध में कोई नया दर्पण आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और यह पर्याप्त होगा यदि इस आदेश को पंजीकृत करने के लिए एक उचित आवेदन, उसी तरीके से जैसे निर्णय पंजीकृत किया गया था, आदित्य के केन्या पहुंचने के दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता दी जाती है, और उसके बाद इस तरह के पंजीकरण की प्रति जल्द से जल्द इस न्यायालय में दायर की जाती है।ई) जैसा कि ऊपर कहा गया है, आगे का हलफनामा दाखिल करने के बाद, प्रत्यर्थी आदित्य को केन्या ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा जैसा कि निर्णय में पहले निर्देश दिया गया था।"

बी.

6. उपर्युक्त दिनांक 28.10.2020 और 08.12.2020 के आदेशों के बाद, जिसके बाद आदित्य की अवमानना करने वाले को अभिरक्षा दी गई, वास्तव में जो हुआ वह स्मृति द्वारा इस न्यायालय के आदेशों की पूर्ण और पूर्ण अवज्ञा की शिकायत करते हुए 2012 की एम. ए. संख्या 1167 दाखिल करने के साथ सामने आया।

सी.

7. इस मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 07.10.2021 के फैसले द्वारा, अपने पहले के दिनांकित 20.08.2020 और 08.12.2020 के आदेशों को याद किया।आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

डी.

“34. ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ और घटनाक्रम से पता चलता हैः-

ई.

(i) पेरी ने उच्च न्यायालय को एक स्पष्ट वचन दिया था कि वह भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होगा।उन्होंने इस न्यायालय को एक गंभीर वचन भी दिया था कि वह दिनांकित 28.10.2020 के फैसले के अलावा 28.10.2020 के आदेश का पालन करेंगे।

एफ.

(ii) 2020 के विविध आवेदन संख्या 2140 (ऊपर पैराग्राफ 16 में उद्धृत) में उठाए गए एक विशिष्ट निवेदन के जवाब में, पेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने खुद को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर लिया था।दिनांक 1 के आदेश में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पेरी द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया वचन इस न्यायालय को दिए गए वचन के अलावा भी जारी रहेगा।

जी.

(iii) 28.10.2020 दिनांकित निर्णय ने पेरी से नैरोबी में संबंधित न्यायालय से निर्णय में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक 'दर्पण आदेश' प्राप्त करने का आह्वान किया था।

एच.

दिनांकित 28.10.2020।इसके बाद, नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9.11.2020 दिनांकित आदेश के साथ-साथ पेरी द्वारा दिनांकित 28.10.2020 निर्णय के पंजीकरण की मांग करने वाले प्रासंगिक आवेदन को इस न्यायालय में दायर किया गया था।(iv) नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 9.11.2020 आदेश के माध्यम से दिया गया पंजीकरण "दर्पण आदेश" की आवश्यकता को पूरा करने के बराबर है या नहीं, इस पर विवाद था।इस मुद्दे पर प्रस्तुतियों को दिनांकित 8.12.2020 के आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में निपटाया गया था।पेरी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने एम/पेरी द्वारा दी गई राय पर भरोसा किया था।एस. जी. एम. सी. अधिवक्ता जिन्होंने बदले में नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया थाःआई. डब्ल्यू. पी. (शिशु) [2013] ई. के. एल. आर.

का मामला यह प्रस्तुत करने के लिए कि पंजीकरण स्वयं दिनांकित 28.10.2020 के निर्णय की आवश्यकताओं के अनुपालन में एक "दर्पण आदेश" था।

बी.

सी.

पेरी की ओर से इस तरह की प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए और नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्मान में, आदेश के अनुच्छेद 10 में नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय का पंजीकरण केन्या में एक सक्षम न्यायालय से जारी "दर्पण आदेश" प्राप्त करने के निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन था।(v) इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.10.2020 का निर्णय और दिनांकित 8.12.2020 का आदेश इस कथन पर आधारित था कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.10.2020 का निर्णय दर्ज करते समय पारित किया गया दिनांकित 9.11.2020 का आदेश वास्तव में "दर्पण आदेश" था।

डी.

ई.

एफ.

(vi) अब यह स्पष्ट होता है कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के अनुच्छेद 13 में एक बाद के आदेश द्वारा कहा कि इस न्यायालय का निर्णय पंजीकरण योग्य नहीं था और पेरी द्वारा दायर मूल समन दिनांक 30.10.2020 को खारिज कर दिया।

जी.

(vii) किसी भी स्तर पर पेरी ने इस विकास को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित निर्णय के पंजीकरण की मांग करने के लिए उनके द्वारा दायर मूल समन को केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा ए में खारिज कर दिया गया था।

एच.

679

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

नैरोबी 21.5.2021 पर।भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के बाद यह पेरी का बाध्य कर्तव्य था कि वह इस न्यायालय को सभी घटनाक्रमों से अवगत रखे, विशेष रूप से

जब "दर्पण आदेश" आधार था जिसके आधार पर इस न्यायालय ने उसे आदित्य की अभिरक्षा सौंप दी थी।

(viii) यह उल्लंघन इस न्यायालय में दायर किए गए और ऊपर पैराग्राफ 22 में निर्दिष्ट उनके हलफनामे में लिए गए रुख के आलोक में अधिक स्पष्ट हो जाता है।उस हलफनामे में पेरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने का दूरगामी इरादा भी नहीं था, जिसमें दिनांकित 28.10.2020 का निर्णय भी शामिल था।फिर भी, 21.05.2021 दिनांकित आदेश जैसी बुनियादी और मौलिक चीज़ को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।तार्किक रूप से, पेरी को आदित्य को इस देश में वापस लाना चाहिए था ताकि यथास्थिति बहाल की जा सके और उसके बाद इस न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किए जा सकें।

बी.

सी.

डी.

(ix) स्मृति द्वारा दायर 2021 के विविध आवेदन संख्या 1167 ने उनके और पेरी के बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल को संलग्न किया था और प्रार्थना की थी कि पेरी को छुट्टी तक पहुंच के संबंध में निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए।जवाब में, यह कहने के अलावा कि उनका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था, पेरी ने आदित्य को भारत भेजने के बारे में चिंता व्यक्त की।इस देश की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 11.08.2021 आदेश में एक समाधान तैयार किया गया था और आदित्य के भारत में प्रवेश और सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे।विशेष रूप से 11.08.2021 पर, इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया था कि ऊपर उल्लिखित 09.08.2021 की स्थितिजन्य रिपोर्ट बनाई गई थी या इस मामले को केन्या में संबंधित अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा था।

ई.

एफ.

(X) दिनांकित 11.08.2021 आदेश में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पेरी ने आदेश का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।वास्तव में, जब तक मामले को 16.08.2021 पर आगे की सुनवाई के लिए लिया गया, तब तक पेरी ने विद्वान अधिवक्ता के पक्ष में प्राधिकरण को वापस लेने की मांग की, जो इस न्यायालय के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

जी.

(11) जैसा कि आई**.** ए**. 100550** में बताया गया है कि स्मृति और आदित्य के बीच **2021** के सप्ताहांत की स्काइप बैठकों में सुविधा नहीं दी गई थी।

एच.

680 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

14.08.2021 और 15.08.2021 का सप्ताहांत।पेरी ने स्मृति के साथ संचार के सभी साधनों को भी अवरुद्ध कर दिया।हालांकि कानून में पेरी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता उनका प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे, इसके अलावा नैरोबी के भारतीय दूतावास के माध्यम से पेरी को नोटिस देने का निर्देश दिया गया था।

बी.

(XII) पेरी द्वारा प्रदर्शित अवज्ञाकारी रवैये और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने से उनके इनकार के आलोक में, स्मृति द्वारा 2021 की अपनी आई. ए. संख्या 100550 में की गई प्रार्थनाओं (डी) (ई) और (एफ) के संदर्भ में अंतरिम राहत इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 17.08.2021 के आदेश के माध्यम से दी गई थी।

सी.

(XIII) अंत में, याचिका सं। 2021 का ई 301 और-पेरी की ओर से प्रस्ताव की सूचना नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय में 26.08.2021 पर दायर की गई थी।उक्त याचिका और प्रस्ताव की सूचना में पेरी द्वारा लिया गया रुख यह है कि आदित्य को ओ. सी. आई. कार्ड लेने के लिए मजबूर करना अपमानजनक होगा; कि आदित्य की इच्छाओं को इस न्यायालय द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था; कि कोई वैध दर्पण आदेश नहीं था और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना थे।उन्होंने घोषणा के लिए प्रार्थना की है कि कोई वैध "दर्पण आदेश" मौजूद नहीं है और इन परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुपालन और/या प्रवर्तन में असमर्थ हैं।

डी.

ई.

35. ये घटनाक्रम न केवल पेरी द्वारा अब अपनाई गई अवज्ञाकारी और अपमानजनक मुद्रा को दर्शाते हैं, बल्कि प्रथम दृष्टया ऊपर पैराग्राफ 25,27 और 28 में संदर्भित अंतरिम आवेदनों में की गई स्मृति की प्रस्तुतियों का समर्थन करते हैं।यह मानने के लिए ठोस सामग्री और कारण प्रतीत होते हैं कि यह पेरी की ओर से एक सुनियोजित साजिश थी कि वह इस न्यायालय को अपने पक्ष में आदेश पारित करने और उसे आदित्य की हिरासत की अनुमति देने के लिए राजी करे और फिर इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करे।

एफ.

36. यह बुनियादी बात है कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष को साफ हाथों के साथ आना चाहिए, विशेष रूप से बाल अभिरक्षा मामलों में।कोई भी धोखाधड़ीपूर्ण आचरण जिसके आधार पर न्यायालय के आदेशों के तहत नाबालिग की अभिरक्षा प्राप्त की जाती है, संबंधित व्यक्ति में न्यायालय द्वारा व्यक्त विश्वास के तत्व को नकार देगा और रद्द कर देगा।जहाँ कहीं भी नाबालिग की अभिरक्षा एक मामला है ए

जी.

एच.

681

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

माता-पिता या संबंधित पक्षों के बीच विवाद के मामले में, नाबालिग की प्राथमिक अभिरक्षा, माता-पिता के क्षेत्राधिकार में, न्यायालय के पास है जो तब अभिरक्षा को उस व्यक्ति को सौंप सकता है जो न्यायालय की नजर में सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा।धोखाधड़ीपूर्ण आचरण और योजना के साथ न्यायालय से ऐसी अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू की गई कोई भी कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया में धोखाधड़ी होगी।

बी.

39. हालाँकि, पेरी द्वारा प्रत्येक मोड़ पर उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को गंभीर वचन दिए गए थे, लेकिन इस तरह के उपक्रमों का न केवल स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, बल्कि अब भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करने के बावजूद, भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक रुख अपनाया गया है।इस तरह के आचरण को, प्रथम दृष्टया, निश्चित रूप से अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्रवाई के लिए अपमानजनक कहा जा सकता है।इसके अलावा, पेरी द्वारा प्रासंगिक मोड़ पर भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने से यह भी पता चलता है कि उन्होंने अस्वच्छ हाथों से भारतीय अदालतों का दरवाजा खटखटाया था।

सी.

डी.

40. पेरी द्वारा दिए गए गंभीर वचनों और नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के आधार पर ही आदित्य की अभिरक्षा को पेरी को सौंपने का निर्देश दिया गया था, जिसे इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एक "दर्पण आदेश" माना गया था।

चूँकि पेरी द्वारा किए गए झूठे और धोखाधड़ी वाले अभ्यावेदन आधार थे, जिसके आधार पर इस न्यायालय को आदित्य की अभिरक्षा उसे सौंपने के लिए राजी किया गया था, इसलिए इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त किए गए आदेशों के प्रभाव और प्रभाव को हर तरह से रद्द करे।ऊपर उल्लिखित सभी निर्णय उस दिशा में इंगित करते हैं। इसलिए यह न्यायालय अपनी शक्ति के भीतर होगा और सभी आदेशों को वापस लेने के लिए न्यायसंगत होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारिता ग्रहण करना जारी रखेगा कि विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले जो स्थिति थी, वह बहाल हो जाए, जिसके बाद माता-पिता के अधिकार क्षेत्र में उचित निर्णय लिया जा सकता है।"

ई.

एफ.

जी.

अंत में, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दियाः-

"42. परिसर में, हम निम्नलिखित दिशा-निर्देश देते हैंः—

एच.

(ए) इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.10.2020 निर्णय और दिनांकित 08.12.2020 आदेश को वापस लिया जाता है।

(ख) पेरी द्वारा जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली में आदित्य की स्थायी अभिरक्षा और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के लिए दायर 2012 की संरक्षकता याचिका संख्या 53, जिसमें एम. ए. टी. ए. पी. पी. (एफ. सी.) भी शामिल है। उच्च न्यायालय में दायर 2018 का सं. 30 खारिज कर दिया जाता है।

बी.

(ग) अभिरक्षा देने वाले आदेशों को वापस लेने के बाद, पेरी के साथ आदित्य की अभिरक्षा को अवैध और शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाता है।

सी.

(डी) पेरी को नोटिस जारी करें कि इस न्यायालय को दिए गए गंभीर उपक्रमों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए, जो 16

नवंबर, 2021 को वापस की जा सकती है।रजिस्ट्री को सुओ मोटू अवमानना मामला दर्ज करने और उसके अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

डी.

(ई) सूचना अतिरिक्त रूप से स्मृति के साथ संवाद करने में पेरी द्वारा उपयोग की गई ई-मेल आईडी पर निर्देशित ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।उस ओर से विवरण दो दिनों के भीतर स्मृति द्वारा रजिस्ट्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

(च) केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली को अपने निदेशक के माध्यम से पेरी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही दर्ज करके उचित कार्यवाही शुरू करने और आदित्य की हिरासत को स्मृति को सुरक्षित करने और सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

ई.

(जी) सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और केन्या में भारतीय दूतावास को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आदित्य की हिरासत को सुरक्षित करने में स्मृति को हर संभव सहायता और साजो-सामान सहायता प्रदान की जाए।(ज) रुपये की राशि से और उसमें से। पेरी द्वारा इस न्यायालय में जमा किए गए 1 करोड़ रुपये, इस स्तर पर, रु। 25 लाख रुपये कानूनी खर्च के लिए स्मृति को सौंपे जाएँ या इसके बाद खर्च किए जाने की आवश्यकता हो।शेष राशि अगले आदेश तक रजिस्ट्री में जमा रखी जाएगी।"

एफ.

जी.

8. 25.01.2022 पर, न्यायालय की अवमानना के लिए स्वतः संज्ञान नोटिस के बाद, इस न्यायालय ने आरोप तय किए और अवमानकर्ता को नोटिस जारी किया।आगे के अवसर देने के लिए मामले को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया था

एच.

683

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

अवमानना करने वाले को।अंत में, अपने दिनांक 11.07.2022 के निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने अवमानकर्ता को इस न्यायालय के आदेशों की दीवानी और आपराधिक अवमानना करने के लिए दोषी ठहराया।आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

“15. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष गलत बयान देता है और न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है, न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और न्यायालय की अवमानना का दोषी है।ऊपर निकाले गए भाग से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय के पास न केवल अंतर्निहित शक्ति है, बल्कि वह अपने कर्तव्य में विफल होगा यदि कथित अवमानक के साथ न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अवमानना क्षेत्राधिकार में व्यवहार नहीं किया जाता है।

बी.

सी.

16. दिनांकित 07.10.2021 आदेश के पैराग्राफ 34 में दिए गए मामले की आवश्यक विशेषताओं पर एक प्रथम दृष्टया अवलोकन पर पहुंचने के लिए भरोसा किया गया था कि पेरी न्यायालय की अवमानना का दोषी था।हालांकि पेरी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।हम पाते हैं कि अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से पेरी की ओर से उल्लंघन दिखाती है।दिनांकित 07.10.2021 आदेश के पैराग्राफ 34 में की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड के आधार पर थीं।पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, पेरी इस न्यायालय सहित न्यायालयों को दिए गए स्पष्ट उपक्रमों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के हिस्से के रूप में न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी है।हम तदनुसार पेरी को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दोषी ठहराते हैं।

डी.

ई.

17. हालांकि तत्काल कार्यवाही को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जा सकता है और पेरी की अनुपस्थिति में भी सजा का आदेश दिया जा सकता है, हम पेरी को आदित्य के साथ दोपहर 3 बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश होने का अंतिम अवसर देते हैं।तब उसे दी जाने वाली सजा के मुद्दे पर उचित दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।पेरी के लिए यह भी खुला रहेगा कि वह खुद को अवमानना से मुक्त करे, जिस मामले में इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

एफ.

जी.

इस आदेश की प्रति पेरी को स्मृति को सेवा देने की प्रक्रिया में उनके द्वारा उपयोग किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाए।इसके अतिरिक्त, एक प्रति विद्वान अधिवक्ता श्री पी. के. मनोहर को दी जाएगी।”

एच.

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि में सजा देने के लिए वर्तमान कार्यवाही की जा रही है।सजा के लिए ये कार्यवाही तीन महीने तक चली।इस अवधि के दौरान, मामला 22.07.2022,27.09.2022,30.09.2022 और 17.10.2022 पर सूचीबद्ध किया गया था।अंततः यह 21.10.2022 पर सुना गया जब यह निर्णय लिया गया कि अवमानकर्ता को उपस्थित होने और अपने कार्यों की व्याख्या करने या अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।हालाँकि, वह अवज्ञाकारी बने रहे और व्यक्तिगत रूप से या परामर्श के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए।10. हमने स्मृति कंसागरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर को विद्वान और सुश्री ऐश्वर्या भाटी को भी विद्वान , जिन्होंने 30.09.2022 पर हमारे अनुरोध के अनुसार न्यायालय की सहायता की।योग्यता की विस्तार से जांच करने के बाद, हम मानते हैं किः

बी.

सी.

10.1 अवमानकर्ता ने उच्च न्यायालय को एक स्पष्ट वचन दिया था कि वह भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत होगा।2020 के विविध आवेदन संख्या 2140 में उठाए गए एक निवेदन के जवाब में, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उन्होंने खुद को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर लिया था।इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में स्पष्ट किया कि उनके द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया वचन इस न्यायालय को दिए गए वचन के अलावा भी जारी रहेगा।अवमानकर्ता ने स्पष्ट रूप से वचन का उल्लंघन किया।यह जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा है।

डी.

ई.

10.2 अवमानकर्ता ने इस न्यायालय को एक गंभीर वचन दिया कि वह 28.10.2020 दिनांकित निर्णय और 08.12.2020 दिनांकित आदेश का पालन करेगा।हालाँकि, उन्होंने इस वचन का भी उल्लंघन किया।यह स्पष्ट हो गया था कि अवमानकर्ता ने अपनी सुविचारित और सुविचारित योजनाओं में इस न्यायालय सहित भारत के न्यायालयों को गुमराह करने के लिए आश्वासन और वचन दिए हैं, जबकि उनका अपने किसी भी आश्वासन का पालन करने या पालन करने का कोई इरादा नहीं था।निम्नलिखित कार्य यह प्रदर्शित करेंगे कि वे न केवल इस न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा हैं, बल्कि न्याय के प्रशासन में बाधा डालने और

न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के लिए गिने जाते हैं।न्यायालय के अधिकार को कम करने का स्पष्ट प्रभाव उनके ऊपर पड़ा।

एफ.

जी.

10.3 दिनांकित 28.10.2020 के फैसले में अवमानकर्ता से नैरोबी में संबंधित न्यायालय से एक दर्पण आदेश प्राप्त करने का आह्वान किया गया था ताकि दिनांकित 28.10.2020 के फैसले में निहित निर्देशों को प्रतिबिंबित किया जा सके।इसके बाद, नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.11.2020 का आदेश अवमाननाकर्ता ए द्वारा दायर प्रासंगिक आवेदन के साथ।

एच.

685

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

इस न्यायालय में 28.10.2020 दिनांकित निर्णय के पंजीकरण की मांग करते हुए दायर किया गया था।नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 09.11.2020 आदेश के माध्यम से दिया गया पंजीकरण एक दर्पण आदेश की आवश्यकता को पूरा करने के बराबर था या नहीं, इस पर विवाद था।अवमानकर्ता की ओर से पेश वकील ने मैसर्स जीएमसी एडवोकेट्स द्वारा दी गई राय पर भरोसा किया, जिन्होंने बदले में नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया थाःआई. डब्ल्यू. पी. (शिशु) [2013] ई. के. एल. आर. का मामला यह प्रस्तुत करने के लिए कि पंजीकरण स्वयं दिनांकित 28.10.2020 के निर्णय की आवश्यकताओं के अनुपालन में एक "दर्पण आदेश" था।नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.11.2020 के आदेश के आधार पर अवमानक की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों के माध्यम से, इस न्यायालय को यह मानने के लिए राजी किया गया कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के फैसले का पंजीकरण "दर्पण आदेश" प्राप्त करने के निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन था।अब यह स्पष्ट हो जाता है कि नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 21.05.2021 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय का निर्णय पंजीकरण योग्य नहीं था और प्रारंभिक समन को खारिज कर दिया।

बी.

सी.

10.4 नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय की कार्यवाही और आदेश को दबा दिया गया था। अवमानकर्ता ने जानबूझकर और इस न्यायालय के निर्णय और आदेश को विफल करने के स्पष्ट इरादे से इन तथ्यों को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया।भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के बाद यह अवमानकर्ता का बाध्य कर्तव्य था कि वह इस न्यायालय को सभी घटनाक्रमों से अवगत रखे, विशेष रूप से जब "दर्पण आदेश" आधार था जिसके आधार पर इस न्यायालय ने उसे आदित्य की अभिरक्षा सौंप दी थी।इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के अधिकार को कम कर दिया है।

डी.

ई.

10.5 यह उल्लंघन इस न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र दिनांक आई. डी. 2 में लिए गए रुख के आलोक में अधिक स्पष्ट हो जाता है, जहां अवमानकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने का दूरगामी इरादा भी नहीं था, जिसमें दिनांक आई. डी. 1 का निर्णय भी शामिल है।ये अस्पष्ट और विरोधाभासी कार्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि अवमानकर्ता इस न्यायालय के आदेशों को विफल करने के लिए एक साजिश और स्पष्ट इरादे के साथ काम कर रहा था।उन्होंने न्याय के मार्ग में बाधा डाली।10.6 भारत में आदित्य के सुरक्षित प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश में तैयार की गई प्रक्रिया से अच्छी तरह से अवगत होने के कारण, अवमानकर्ता ने इस न्यायालय को इस तथ्य के बारे में सूचित नहीं किया कि 2 की स्थितिजन्य रिपोर्ट बनाई गई थी या कि संबंधित अधिकारी केन्या में मामले को देख रहे थे।ये सभी कार्य किए गए थे और इसके विपरीत कदम उठाए गए थे, जबकि अवमानना करने वाले ने

एफ.

जी.

एच.

इस न्यायालय को आश्वस्त करते हुए कि उनका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने का कोई इरादा नहीं था।यह सब इस न्यायालय को गुमराह करने के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है।10.7 दिनांकित 11.08.2021 आदेश में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पेरी ने आदेश का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।वह ओ. सी. आई. को नवीनीकृत करने में विफल रहा और आदित्य को 13.08.2021 पर उड़ान भरने में विफल रहा।स्मृति और

आदित्य के बीच सप्ताहांत स्काइप बैठकों को 14.08.2021 के सप्ताहांत से सुविधाजनक नहीं बनाया गया था।सभी आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, अवमानकर्ता ने स्मृति के साथ संचार के सभी साधनों को अवरुद्ध कर दिया।10.8 यद्यपि कानून में अवमानकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता, हमारे आदेशों के अनुसार, उनका प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे, हमने अतिरिक्त निर्देश दिया है कि नैरोबी के भारतीय दूतावास के माध्यम से उन्हें नोटिस दिया जाए।बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कंटेनोर 16.08.2021 के बाद से उपस्थित होने में विफल रहा है।वास्तव में, जब तक मामले को आई. डी. 1 पर आगे की सुनवाई के लिए लिया गया, तब तक अवमानकर्ता ने विद्वान अधिवक्ता के पक्ष में प्राधिकरण को वापस लेने की मांग की, जो इस न्यायालय के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे।इस जानबूझकर और सुविचारित कार्यों से अवमानकर्ता ने न्याय के प्रशासन में बाधा डाली।

बी.

सी.

डी.

10.9 याचिका सं। 2021 का ई 301 और नैरोबी में केन्या के उच्च न्यायालय के समक्ष 26.08.2021 पर प्रस्ताव की सूचना, अवमानकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आदित्य को ओ. सी. आई. कार्ड लेने के लिए मजबूर करना अपमानजनक होगा।उन्होंने यह भी कहा कि आदित्य की इच्छाओं को इस न्यायालय द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।उन्होंने आगे दलील दी कि कोई वैध दर्पण आदेश नहीं था और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर थे। उन्होंने विशेष रूप से इस घोषणा के लिए प्रार्थना की कि कोई वैध "दर्पण आदेश" मौजूद नहीं है और इन परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुपालन और/या प्रवर्तन में असमर्थ हैं।यह अवमानकर्ता द्वारा किए गए घृणित कृत्यों का सबसे गंभीर हिस्सा है।उनके द्वारा दिए गए बयान झूठे थे, और वास्तव में, यह पूरी तरह से जानते हुए कि ये झूठे बयान थे, उन्होंने केन्या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेश अप्रवर्तनीय थे।

ई.

एफ.

जी.

10.10 ये घटनाक्रम अब अवमानकर्ता द्वारा अपनाई गई अवज्ञाकारी और अपमानजनक मुद्रा को दर्शाते हैं।यह मानने के लिए ठोस सामग्री और कारण है कि यह पेरी की ओर से एक सुनियोजित साजिश थी कि वह इस न्यायालय को अपने पक्ष में आदेश पारित करने और उसे आदित्य की हिरासत की अनुमति देने के लिए राजी करे और फिर इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करे।

एच.

687

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

11. भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 इस न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता हैः-

“129. उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।-

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए न्यायालयित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।”

बी.

12. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अवमानना के लिए दंडित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अवमानना के तहत प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है।

न्यायालय अधिनियम 2.पल्लव सेठ बनाम अभिरक्षक और अन्य 3 में, यह न्यायालय

मान लिया किः-

सी.

“30. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेख की अदालतें हैं और संविधान ने उन्हें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां दी हैं।इस न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस शक्ति को निरस्त या कम नहीं किया जा सकता है।लेकिन अगर अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति निरपेक्ष है, तो क्या किसी भी कानून द्वारा यह संकेत दिया जा सकता है कि शक्ति का उपयोग किस तरह और किस हद तक किया जा सकता है?यदि कानून का कोई प्रावधान है जो अनुच्छेद 129 और/या अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति को बाधित या निरस्त करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस तरह के कानून को वैध रूप से अधिनियमित नहीं माना जाएगा।हालाँकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सजा की मात्रा या जिसे अवमानना के कार्य के रूप में माना जा सकता है या यहां तक कि अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि के प्रावधान को एक प्रावधान के रूप में नहीं लिया जा सकता है जो अवमानना को निरस्त या बाधित करता है।

डी.

ई.

एफ.

2 “12. न्यायालय की अवमानना के लिए सजा।- (1) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, अदालत की अवमानना को साधारण कारावास से न्यायालयित किया जा सकता है जो छह महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से न्यायालयित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है या न्यायालय की संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर दी गई सजा को माफ किया जा सकता है।

जी.

स्पष्टीकरण —क्षमा याचना को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि यदि अभियुक्त इसे प्रामाणिक बनाता है तो यह योग्य या सशर्त है।

(2) तत्काल प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय अपने या अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में किसी भी अवमानना के लिए उप-धारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय से अधिक न्यायालय नहीं लगाएगा।”

3 (2001) 7 एस. सी. सी. 549

एच.

संविधान के अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 215 के तहत अधिकार क्षेत्र।”

13. उपरोक्त सिद्धांत का पालन री में किया गया हैःविजय कुर्ले और ओआरएस। 4, जहाँ इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्दिष्ट सिद्धांत को दोहराया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

बी.

“38. उपरोक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोई भी कानून जो संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करता है या निरस्त करता है, उसे वैध रूप से अधिनियमित नहीं कहा जा सकता है।हालाँकि, इसने यह माना कि सजा की मात्रा या सीमा की अवधि प्रदान करने का मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 129 के तहत न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया है।हम इस निर्णय की शुद्धता या अन्यथा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह निर्णय केवल इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या संसद अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि तय कर सकती है। पल्लव सेठ के मामले (ऊपर) पर किसी न किसी तरह से टिप्पणी किए बिना यह स्पष्ट है कि इसने अवमानना का स्वतः संज्ञान नोटिस जारी करने की इस न्यायालय की शक्तियों पर विचार नहीं किया है।

सी.

डी.

39. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अवमानना शुरू करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किसी भी तरह से अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं हैं। यह न्यायालय अवमानना से निपटने के लिए संवैधानिक शक्तियों के साथ निहित है। धारा 15 अवमानना के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति का स्रोत नहीं है।यह केवल उस प्रक्रिया का प्रावधान करता है जिसमें ऐसी अवमानना शुरू की जानी है और यह प्रक्रिया प्रदान करती है कि अवमानना शुरू करने के तीन तरीके हैं-(i) स्वतः संज्ञान (ii) महाधिवक्ता/महान्यायवादी/महान्यायवादी द्वारा प्रस्ताव पर और (iii) महाधिवक्ता/महान्यायवादी/महान्यायवादी की लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के आधार पर।जहाँ तक स्वतः संज्ञान याचिकाओं का संबंध है, किसी की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय अवमानना के लिए नोटिस जारी करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।यह न केवल अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों से भी स्पष्ट है।"

ई.

एफ.

जी.

एच.

4 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 407।

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

14. यह इस न्यायालय की संवैधानिक शक्ति के भीतर है कि वह अवमानकर्ता के अपमानजनक कृत्यों पर विचार करे और उसे उसी के लिए दंडित करे।न्यायालय की अवमानना अधिनियम द्वारा अप्रतिबंधित ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय ने छह महीने से अधिक की सजा सुनाई थी और कुछ मामलों में यह भी निर्देश दिया था कि अवमानकर्ता को सश्रम कारावास से गुजरना होगा।

बी.

15. हमारा विचार है कि अवमानकर्ता ने जानबूझकर, और एक स्पष्ट योजना के साथ, ऐसा प्रतीत किया था जैसे कि वह भारतीय न्यायालयों के निर्णय और निर्देश का पालन करने के लिए तैयार था।इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की पुष्टि करने वाले बार-बार दिए गए बयान

और हलफनामे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए थे कि आदित्य की हिरासत उसे दी जाए।हमारा स्पष्ट मत है कि अवमानकर्ता का न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का कोई इरादा नहीं था, भले ही उसने वचन पत्र दिया हो, गंभीर हलफनामा दायर किया हो या यहां तक कि अपने वकील को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया हो।16. आदित्य को भारत से बाहर ले जाने के बाद अवमानकर्ता का आचरण हमारे दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि पूरी कार्यवाही जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी ताकि अवमानकर्ता को आदित्य को भारत से बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति देने में सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया जा सके।

सी.

डी.

17. यह न्यायालय सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ और

ओआरएस।6 अनुच्छेद 129 के तहत शक्तियों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः-

“19. ...इसलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 यह आदेश देता है कि यह न्यायालय

ई.

“... अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस तरह से पारित कोई डिक्री या आदेश पूरे भारत के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।

एफ.

और यह उपरोक्त प्रवर्तन के लिए भी है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय में, अन्य बातों के अलावा, न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लागू करने की शक्ति निहित करता है।उच्चतम न्यायालय के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति है।यह व्यवस्था है

जी.

5 ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्र बनामगुजरात राज्य और अन्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 374; और अफजल और अन्र. वी.हरियाणा राज्य और अन्य, (1996) 7 एस. सी. सी. 397।

6 (2014) 8 एससीसी 470।

यह भी देखेःसुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन न्यायालय भारत संघ और ए. एन. आर.(1998) 4 एससीसी 409,

पैरा 38।

एच.

जो उच्चतम न्यायालय को अपने आदेशों के अनुपालन को लागू करने के लिए अधिकृत करता है। क्योंकि, यदि अनुपालन को लागू करने की शक्ति की कमी थी तो दंडित करने की शक्ति से कोई लाभ नहीं होगा।इसलिए यह न्यायालय मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ [(2012) 1 एस. सी. सी. 273:(2012) 1 एस. सी. सी. (सिविल) 88:(2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 528:(2012) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 83] ने अपने अवमानना क्षेत्राधिकार के संदर्भ में इस प्रकार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 282-85, पैरा 26-27 &34)

बी.

“26. यह भी ध्यान देने योग्य है कि सकारात्मक या सक्रिय योगदान या निष्क्रिय और निष्क्रिय आचरण द्वारा गैर-आज्ञाकारिता द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा एक ही परिणाम की ओर ले जाती है।

सी.

न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा कानून के शासन की जड़ पर हमला करती है जिस पर न्यायिक प्रणाली टिकी हुई है।कानून का शासन एक लोकतांत्रिक समाज की नींव है।न्यायपालिका कानून के शासन की संरक्षक है।यदि न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों और कार्यों को प्रभावी ढंग से निभाना है और उस भावना के प्रति सच्चा रहना है जिसके साथ उन्हें पवित्र रूप से सौंपा गया है, तो अदालतों की गरिमा और अधिकार का हर कीमत पर सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए (टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद (102) बनाम अशोक खोट [(2006) 5 एससीसी 1], एससीसी पी।6, पैरा 5)।

डी.

ई.

130 तत्काल अवमानना क्षेत्राधिकार का दायरा अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अवमानकों को दंडित करने तक फैला हुआ है; अदालत के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए अवमानकों को दंडित करना; अदालतों को दिए गए उपक्रमों के उल्लंघन के लिए अवमानकों को दंडित करना।यह न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन तक भी फैला हुआ है।अवमानना का अधिकार क्षेत्र उन लोगों को दंडित करने तक फैला हुआ है जो किसी भी अदालत को बदनाम करते हैं (या उसके अधिकार को कम करते हैं); न्यायिक कार्यवाही के नियत समय में हस्तक्षेप करने वालों को दंडित करना; और न्याय के प्रशासन में बाधा डालने वालों को दंडित करना।

एफ.

18. हम पहले ही पेरी कंसाग्रा को अवमानना के लिए दोषी ठहरा चुके हैं।उपरोक्त संदर्भित तथ्यों का उल्लेख केवल यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि अवमानकर्ता ने जानबूझकर और स्पष्ट इरादे से अवमानना के गंभीर कृत्य किए हैं।ये कार्य जानबूझकर अवज्ञा का गठन करते हैं

जी.

इस न्यायालय के निर्णय, निर्देश और आदेश के साथ-साथ न्यायालय द्वारा दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन जो दीवानी ए का गठन करता है।

एच.

691

इन आरईःपेरी कंसागरा

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

अवमानना।अवमानकर्ता ने विदेशी अधिकार क्षेत्र के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया है कि भारतीय न्यायालयों ने आदित्य की सहमति नहीं मांगी है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अप्रवर्तनीय है।ये

अधिनियम स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के अधिकार को कम करते हैं।हमने भी संकेत दिया है

कि अवमानकर्ता ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है

कार्यवाही और न्याय के प्रशासन को बाधित किया जो एक है

बी.

आपराधिक अवमानना का स्पष्ट मामला।19. परिस्थितियों में और कानून की महानता का उल्लेख करने के लिए, हमें अवमानकर्ता को पर्याप्त सजा देनी चाहिए।हमने यह भी नोट किया है कि अवमानकर्ता ने कभी भी कोई पछतावा नहीं दिखाया या अपने आचरण के लिए कोई माफी नहीं मांगी।

सी.

20. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम निर्देश देते हैं कि अवमानकर्ता

होनाः

क) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के अपने कार्यों के लिए न्यायालय की दीवानी अवमानना के लिए छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया गया और 50,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। 12,50,000- (बारह लाख पचास हजार), चूक में वह आगे एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरेगा।

डी.

ख) न्याय के प्रशासन में बाधा डालने और इस न्यायालय के अधिकार को कम करने के लिए न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना देना। 12,50,000-(बारह लाख पचास हजार), चूक में वह आगे एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरेगा।

ई.

21. दीवानी के साथ-साथ आपराधिक अवमानना के गंभीर कृत्यों को देखते हुए, हम आगे निर्देश देते हैं कि सजा लगातार दी जाएगी।

एफ.

22. हम आगे निर्देश देते हैं कि कुल जुर्माना रु। 25,00,000-(पच्चीस लाख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, अवमाननाकर्ता द्वारा आज से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया जाना है और स्मृति कंसागरा द्वारा दायर एक आवेदन पर उसे जारी किया जाएगा।

जी.

23. हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी निर्देश देते हैं कि अवमानना करने वाले को जेल में डालने के लिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।कहने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार सहित

एच.

विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियां या उपकरण न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन उचित परिश्रम और अत्यधिक समीचीनता के साथ करेंगे।09.12.2022 द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

24. हम मामले को 15.12.2022 पर आगे के आदेशों के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।

बी.

अंकित ज्ञान

निर्देश जारी किए गए।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.